न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 142/2024
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 11.12.2025

1. बाबूलाल पुत्र मुन्ना जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. भागचंद पुत्र मुन्ना जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजकुमार पुत्र रमेश जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राकेश कुमार पुत्र रमेश जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. विक्रमसिंह दोहित्रा मुन्ना पुत्र रोशनलाल जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विष्णु कुमार दोहित्रा मुन्ना पुत्र रोशनलाल जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मोनिका पुत्री रमेश जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
5. सब रजिस्ट्रार नदबई।

— अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री लखन धारा एड.(प्रार्थीगण की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड. (अप्रार्थीगण की ओर से)

—::निर्णय::— प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सारगर्भित तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खाता संख्या 705 के आराजी खसरा नंबर 2350/336 रकबा 0.34 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 398 के खसरा नंबर 2348/336

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.01, 2351/337 रकबा 0.21, 2353/337 रकबा 0.1066 वाके ग्राम खेडी देवीसिंह तहसील नदबई स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन उक्त आराजी बाईपास रोड के दोनों तरफ होने के कारण बेशकीमती आराजी है जिसके कारण अप्रार्थीगण के मन में बदनीयती आ गई है जिसके कारण से वह विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल करने एवं खुर्दबुर्द करने पर आमादा है तथा डोर मेड लगान आदि पर आपस में तनाजा बना रहता है। जिसके कारण से अब शामिल सरीक रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार नियमानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करा पाने के मुश्तहक है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थीगण को वमुकाम ग्राम लालचाह खेडीदेवीसिंह तहसील नदबई में यह ऐलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे व प्रार्थीगण को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर देंगे व कब्जाकाश्त में दखल करेंगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त दी गई धमकी में अप्रार्थीगण कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

5. अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें एवं बिना विभाजन कराए विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल न करें व दीगर व्यक्तियों को कब्जा आदि न करावें व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें व कब्जाकाश्त में दखल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध तामील बावजूद न्यायालय उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पूर्व से ही अपने अपने हिस्से पर मनबट से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं एवं मौके पर कोई तनाजा नहीं है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।
2. यह कि सह खातेदार को अपने हिस्से को रहनवयमुन्तकिल करने का कानूनी अधिकार है तथा एक कृषक अपने हिस्से की आराजीयात को रहनवय करने की स्थिति से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए कानूनन प्रतिवादीगण को अपने शेयर के बेचान करने से नहीं रोका जा सकता है। दावा काबिल खारिजी के है।
3. यह कि प्रतिवादीगण एवं वादीगण अपने अपने हिस्से पर मनबट से पूर्व से ही निर्विवाद काश्त कर रहे हैं तो धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए बिना कॉज ऑफ एक्शन दावा/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। काबिल खारिजी के है।
4. यह कि मुताबिक हिस्सा मनबट अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी का कर दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम खेडी देवीसिंह पेश किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नियत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन रहे कि विवादित आराजी मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र बाईपास रोड की बेशकीमती आराजी है जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी। विवादित आराजी के बेचान आदि से वाद बाहुल्यता बढेगी एवं वाद के अंतिम निस्तारण में अनावश्यक देरी उत्पन्न होगी। अतः दावा के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें एवं बिना बंटवारा कराए विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करें एवं दीगर व्यक्तियों को कब्जा आदि न दें। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं कथन रहे कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा दावा पेश किया है तब से आदिनांक तक किसी प्रकार का कोई उज्रदारी नहीं की। अप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी की विवादित आराजी पर एक रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहस्वामी हैं जिस कारण अप्रार्थीगण को संयुक्त खाते की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. **<u>पृथमदृष्ट्या मामला</u>**– प्रार्थीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित हाल आराजी खाता संख्या 705 के आराजी खसरा नंबर 2350/336 रकबा 0.34 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 396 के खसरा नंबर 2348/336 रकबा 0.01, 2351/337 रकबा 0.21, 2353/337 रकबा 0.1066 वाके ग्राम खेडी देवीसिंह तहसील नदबई में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के अंतिम निस्तारण से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है ताकि अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल नहीं कर सकें एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अधिवक्तागण की दलीलों एवं प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी की उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान में मनबट से काबिज होकर काश्त की जा रही है। चूंकि संयुक्त खाते की आराजी में समस्त अंशधारी/सहखातेदार पूर्ण भूमि पर काबिज होते हैं अतः उनमें से किसी को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यदि रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थीगण कृषि उन्नयन आदि से भी वंचित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में जारीशुदा स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक में साबित न होकर अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित होता है।
2. **<u>सुविधा का सतुलन</u>** – चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के हक में साबित होता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अत्यधिक क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण कृषि उन्नयन/विस्तार आदि सुविधाओं से वंचित हो रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।
3. **<u>अपूरणीय क्षति</u>** – चूंक़ि संयुक्त खातेदारी की उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल आदि नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के हक में साबित होती है।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होती है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम खेडी देवीसिंह तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 03.09.2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ...11/12/25... को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। वली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सचिन यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner